

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 27/2019- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.....(अ) – संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची 11 - 6% में, क्रम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची 111 - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

| (1) | (2) | (3) |
|-------|--------------|---|
| "163ख | 3923 या 6305 | पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्टिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो; |
| 163ग | 6305 32 00 | फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स"। |

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/201/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2019- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।